

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाग-रूपनगढ़, जिला-अजमेर

अमरचन्द बणाग अगराय

किस्म मुकदमा-88, 188 रा0का0अधि0, 136 भू-रा0अधि0

नम्बर- 44 वर्ष:-2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04.08.2025	<p>यह वाद पत्र वादी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा- 88, 188 रा0का0अधि0, 136 भू-रा0अधि0 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 20.08.2025 को पेश हो।</p>	
20-8-25	<p>वा. एसो. स्वगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. प्रति सं. 1 से 10 P.O. साहब/अवकाश पर पधारे है। के सम्मन तामील- अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-8-25 को पेश हो।</p>	
22-8-25	<p>वादी सं. 1 से 10 की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते धारा 151 C.P.C. के तहत राजस्व वाद पत्र को विद्रा करने बाबत पेश किया। वादी सं. 1 से 10 स्वयं उपस्थित, जिनकी पहचान वकील वादी द्वारा की गयी। वादी सं. 1 से 10 ने पहचानस्वरूप आधारकार्ड की स्व-हस्ताक्षरित प्रतियां पेश की। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार वादी सं. 1 लगायत 10 तक उक्त राजस्व वाद पत्र को विद्रा करना चाहते हैं तथा वादीगण आगे वाद को नहीं चलाना चाहते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर वादीगण एवं वकील वादी को सुना गया। तदनुसार वादीगण का वाद जरिये विडोल स्थापित किया जातार्थ पत्रावली फैसल अनुसार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)